प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 165/2004

<u>आवेदक</u> आर. एन. चौहान, पिता- शिवपाल सिंह, मकान

<u>अभियुक्त क्रमांक 3</u> क्रमांक- 106,कृष्णबाग कालोनी, इंदौर, म.प्र.

<u>बनाम</u>

<u>अनावेदक</u> 1.छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ़।

(<u>अभियोजन पक्ष</u>)

2.रामचरण सिंह ठाकुर, पिता- भैयाराम ठाकुर, उम्र 52 वर्ष, कार्यालय आयुक्त, आदिमजाति विकास विभाग, म. प्र. भोपाल, निवासी: सरविदा, थाना- कोरबा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

3.रमेश सिंह, पिता- मानकेश्वर सिंह, उम्र- 42 वर्ष, निवासी: केदारपुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4.कमलेश सूजोतिया, पिता- डॉ आर.एन. सूजोतिया, निवासी- 212, साकेत नगर इंदौर म.प्र.

5.ऊर्ज कुमार, पिता- आर.पी.मिश्रा, निवासी: मकान क्रमांक ए/16, कस्तूरबानगर, भोपाल, म.प्र।

(शेष अभियुक्त)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. सत्य नारायण गोयल, पिता- फकीर चंद्र गोयल, उम्र-64 वर्ष, निवासी: 7/1, दुर्गा नगर, नौलखा, इंदौर, म.प्र.

(प्रस्तावित अभियुक्त)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के अंतर्गत दांडिक पुनरीक्षण

(एकल पीठ : माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश)

उपस्थित: श्री ए.के. प्रसाद, आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

श्री राकेश झा, उप शासकीय अधिवक्ता राज्य/अनावेदक की ओर से

श्री मनोज मिश्रा, अनावेदक क्रमांक 4 की ओर से अधिवक्ता

अनावेदक क्रमांक 2,3,5 एवं 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

<u>मौखिक आदेश</u>

(दिनांक 22/11/2010 को उद्घोषित)

1. इस दाण्डिक पुनरीक्षण के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 2/2000 में दिनांक 07/02/2004 को दिए गए आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत अपराध करने के लिए अनावेदक क्रमांक 6 के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष के मूल मामले के अनुसार, आक्षेपित आदेश और प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के आधार पर, अनावेदक क्रमांक 6, जो राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, इंदौर के अध्यक्ष थे, के द्वारा सहायक आयुक्त, आदिमजाति विकास, सरगुजा को ओवरहेड टंकी की आपूर्ति की गई है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता भंडार, इंदौर द्वारा सहायक आयुक्त, आदिमजाति विकास, सरगुजा को कोटेशन प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में भी ओवरहेड टैंक की कीमत ले ली गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सहायक आयुक्त, आदिमजाति विकास, सरगुजा मिलीभगत और षड्यंत्र में शामिल थे और उनके द्वारा लघु औद्योगिक निगम से ओवरहेड टंकी के अभाव होने का नकली सर्टिफिकेट ले लिया गया और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, इंदौर के साथ षड्यंत्र करके उपरोक्त अपराध कारित किया।

3. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा अनावेदक क्रमांक-6 का गवाह क्रमांक 86 के तौर पर परीक्षण किया गया, जिसने विस्तार से बयान दिया कि उस समय वह अध्यक्ष था और एक व्यक्ति जिसका नाम रामनरेश सिंह चौहान था, आपूर्ति आदेश लेकर उसके कार्यालय आया था, उसने एक करार किया और फिर ओवर हेड टंकी की आपूर्ति की और पैसे यानी ओवर हेड टंकी की कीमत ले ली। विस्तृत प्रति परीक्षण के दौरान, उसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने ऐसी आपूर्ति के संबंध में सहायक आयुक्त, आदिमजाति विकास, सरगुजा को कोई कोटेशन या कोई दस्तावेज़ नहीं भेजा था और उसने ओवरहेड टंकी की आपूर्ति रामनरेश सिंह चौहान नामक व्यक्ति द्वारा दिए गए आपूर्ति आदेश के आधार पर की थी।

4. आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद, राज्य/अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश झा, और अनावेदक क्रमांक 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज मिश्रा को सुना गया।

5. आक्षेपित आदेश और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया गया ।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि यह साक्ष्य अनावेदक क्रमांक 6 की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त है, ताकि उस व्यक्ति के विरुद्ध परीक्षण के दौरान कार्रवाही की जा सके, जिसे मूल रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 319 के अंतर्गत अभियुक्त नहीं माना गया है। न्यायालय को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम-दृष्टया साक्ष्यों पर विचार करना होता है, लेकिन न्यायालय को साक्ष्यों के विवरण पर विचार करने और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा मामले में, अभियोजन पक्ष ने अनावेदक क्रमांक 6 के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य एकत्रित किए हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अनावेदक क्रमांक 6 के विरुद्ध कार्रवाही करने में विफल रही है, और इस तरह उसने अविधिकता कारित की है और उसे प्राप्त अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रही है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **भोलू राम बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब और अन्य**[1] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कोई अभियुक्त भी संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आवेदन दायर करने के लिए सक्षम है और न्यायालय को साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा और अगर साक्ष्यों के परीक्षण से

[1] (2008) 9 एस सी सी 140

ऐसा प्रतीत है कि अभियुक्त के अलावा कुछ अन्य लोग भी उसी अपराध में लिप्त हैं, तो न्यायालय उस व्यक्ति को समन जारी कर सकता है।

8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे **जगजीवन तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[2] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 319 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, न्यायालय को इस बात का परीक्षण करना होगा कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है, न कि विवरणों का परीक्षण और साक्ष्यों का मूल्यांकन करना।

9. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **कैलाश नाथ कटियार बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[3] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाही करते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि "पर्याप्त साक्ष्य" उपलब्ध हैं या नहीं, जो अपराध में उसकी संलिप्तता का संकेत देते हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **राजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[4] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है जिसे उसके सामने पेश किए गए "साक्ष्यों" के आधार पर अभियुक्त नहीं बनाया गया है।

11. दूसरी ओर, राज्य/अनावेदक क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण का विरोध किया और अनावेदक क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता ने न तो याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया और न ही याचिकाकर्ता के मामले का विरोध किया।

12. संहिता की धारा 319 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, न्यायालय के लिए यह अपरिहार्य घटक है कि ऐसे व्यक्तियों की संलिप्तता से संबंधित साक्ष्य हों, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने पहले अभियुक्त नहीं बनाया था। इस मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट

[2] [2005(3) एम.पी.एल.जे.] पृष्ठ-398
[3] [2005(3) एम.पी.एल.जे.] पृष्ठ-303
[4] (2007) 7 एस सी सी 378

की प्रति से प्रत्यक्ष होता है कि सहायक आयुक्त, आदिमजाति विकास, सरगुजा ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, इंदौर के अध्यक्ष के साथ मिलकर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 420, 467, 468 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (d) (II) और (III) के अंतर्गत उपरोक्त दंडनीय अपराध किया है, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करते समय, आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग ने अनावेदक क्रमांक 6 को अभियुक्त नहीं बनाया और उसे एक गवाह के रूप में दिखाया गया, जिसका परीक्षण अभियोजन पक्ष ने विचारण में गवाह क्रमांक 86 के रूप में किया, जिसने साफ तौर पर बयान दिया कि वह घटना के कथित समय के दौरान राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, इंदौर का अध्यक्ष था, एक व्यक्ति रामनरेश सिंह चौहान उसके पास आपूर्ति आदेश लेकर आया था और उसने आपूर्ति आदेश के आधार पर भुगतान के लिए सहमति दी थी, उसने ओवर हेड टंकी की आपूर्ति की थी और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, इंदौर के लिए भुगतान प्राप्त किया था। अपने विस्तृत प्रति-परीक्षण में, उसने इस बात से अस्वीकार किया कि उसने सहायक आयुक्त आदिमजाति विकास, सरगुजा को कोई कोटेशन, पत्र या दस्तावेज भेजे थे, जिसने कथित दस्तावेजों(जिन्हें कूटरचित कहा गया है) के आधार पर कार्यवाही की थी। अनावेदक क्रमांक 6 के साक्ष्यों को छोड़कर, वर्तमान याचिकाकर्ता ने अपराध करने में उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए गवाहों के बयान या दस्तावेजों की कोई अन्य प्रति पेश नहीं की है। अनावेदक क्रमांक 6 के साक्ष्य वस्तुतः इस मामले में उसकी संलिप्तता की संभावना को पूरी तरह से खारिज करते हैं। इस मामले में, अनावेदक क्रमांक 6 के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के लिए कोई प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जैसा कि भोलू राम और राजेंद्र सिंह (पूर्वोक्त) के मामलों में कहा गया है, जिस व्यक्ति को अभियोजन पक्ष ने शुरुआती स्तर पर अभियुक्त नहीं बनाया है, उसके विरुद्ध

कार्यवाही करते समय अभियोजन पक्ष को साक्ष्य पेश करने होते हैं, लेकिन इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

14. कैलाश नाथ कटियार (पूर्वोक्त) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्ति की संलिप्तता दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य ज़रूरी हैं, लेकिन इस मामले में, याचिकाकर्ता या अभियोजन पक्ष ने अनावेदक क्रमांक 6 के विरुद्ध संलिप्तता का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

15. जैसा कि जगजीवन तिवारी (पूर्वोक्त) के मामले में कहा गया है कि संहिता की धारा 319 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते समय, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है, याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया मामले से संबंधित कुछ भी नहीं पेश किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **माइकल मचाडो और अन्य बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन**[5] के मामले में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला देखने के लिए, न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध या पेश किए गए साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा और यह पर्याप्त नहीं है कि न्यायालय को साक्ष्यों से अपराध में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में कुछ संदेह हो, बल्कि न्यायालय को पहले से एकत्र किए गए साक्ष्यों से उचित संतुष्टि होनी चाहिए और बड़ी संख्या में परीक्षित गवाहों के मामले में, न्यायालय को साक्ष्यों की जांच भी करनी होगी कि क्या ऐसे साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को उम्मीद है कि नए जोड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध वाद का नतीजा दोषसिद्धि में होगा। उक्त निर्णय के पैरा 11 और 14 इस प्रकार हैं:-

[5] (2000) 3 एस सी सी 262

*"**11.** The basic requirement for invoking the above section is that it should appear to the court from the evidence collected during trial or in the inquiry that some other person, who is not arraigned as an accused in that case, has committed an offence for which that person could be tried together with the accused already arraigned. It is not enough that the court entertained some doubt, from the evidence, about the involvement of another person in the offence. In other words, the court must have reasonable satisfaction from the evidence already collected regarding two aspects. First is that the other person has committed an offence. Second is that for such offence that other person could as well be tried along with the already arraigned accused.*

***14.** The Court while deciding whether to invoke the power under section 319 of the Code, must address itself about the other constraints imposed by the first limb of sub-section (4), that proceedings in respect of newly-added persons shall be commenced afresh and the witnesses re-examined. The whole proceedings must be recommended from the beginning of the trial, summon the witnesses once again and examine them and cross-examine them in order to reach the stage where it had reached earlier. If the witnesses already examined are quite large in number the Court must seriously consider whether the objects sought to be achieved by such exercise area worth wasting the whole labour already undertaken. Unless the Court is hopeful that there is a reasonable prospect of the case as against newly-brought accused ending in being convicted of the offence concerned we would say that the court should refrain from adopting such a course of action."*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.माइकल मचाडो (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 319 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्यों पर विचार करते समय, न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा जो उस व्यक्ति की निश्चित संलिप्तता दिखाते हैं जिसे शुरुआती स्तर पर अभियुक्त नहीं बनाया गया था।

18.**बृंदाबन दास और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[6] के मामले में इसी प्रश्न का विवेचन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को साक्ष्यों का मूल्यांकन करना होगा और संहिता की धारा 319 के अंतर्गत अधिकारिता का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब न्याय के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। संहिता की धारा 319 के अंतर्गत अधिकारिता का उपयोग करने के लिए, अभियोजन पक्ष को ठोस साक्ष्य पेश करने होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19.मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी साक्ष्य के अभाव में, अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया है। न्याय के उपरोक्त मापदंड के आलोक में, नए जोड़े गए अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध ठोस प्रकृति के साक्ष्यों की उपलब्धता ज़रूरी है, नए जोड़े गए अभियुक्त द्वारा अपराध करने के संबंध में संदेह या शक संहिता की धारा 319 के अंतर्गत अधिकारिता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

20.ठोस साक्ष्यों की कमी के कारण, अंबिकापुर के माननीय विशेष न्यायाधीश ने संहिता की धारा 319 के अंतर्गत दायर आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है, वह भी 82 गवाहों के परीक्षण के बाद। आवेदन को खारिज करके, अधीनस्थ न्यायालय ने न तो कोई अविधिकता कारित की है और न ही उसे मिले अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में कोई चूक की है। नतीजतन, दांडिक पुनरीक्षण का कोई औचित्त नहीं है और बिना किसी प्रथम दृष्टया साक्ष्य के भी इसे खारिज किया जाना चाहिए और, इसे आज से 30 दिनों

[6] (2009) 3 एस सी सी 329

के भीतर राज्य/अनावेदक क्रमांक 1 को 2,000 रुपये के वाद-व्यय के भुगतान के आदेश साथ खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षरित

श्री टी पी शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजन हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by : Advocate Aatish Mishra